



भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइकलोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre



1/ए.एफ., बिधान नगर/1/AF, Bidhan Nagar,
कोलकाता/Kolkata- 700064

सं. No.: VECC/ADMIN/CHSS/2022(2)/1164

जून/June 14, 2022

परिपत्र
CIRCULAR

विषय/Sub : वीईसीसीसीएचएसएस लाभार्थियों के संबंध में दवाइयों की खरीद।
Procurement of medicines by CHSS beneficiaries of VECC-reg.

कोविड -19 महामारी के कारण, सीएचएसएस लाभार्थियों को डॉक्टरों द्वारा निर्धारित एक समय में अधिकतम 3 महीने तक की दवाएं खरीदने की अनुमति देने के लिए निदेशक, वीईसीसी का विशेष अनुमोदन प्राप्त किया गया था। यह छूट अगले आदेश जारी होने तक ही उपलब्ध थी।

Due to the Covid-19 Pandemic, special approval of Director, VECC, was obtained for permitting CHSS beneficiaries to procure medicines up to 3 months maximum, at a time, if prescribed by Doctors. The relaxation was available until further orders.

2. तत्पश्चात, सेवानिवृत्त लाभार्थियों को पुराने नुस्खे का उपयोग करके 15.07.2021 से 6 महीने तक नियमित दवाएं खरीदने की अनुमति दी गई। इस छूट की वैधता 14.01.2022 को समाप्त हो गई थी।

Subsequently, retired beneficiaries were permitted to purchase regular medicines up to 6 months from 15.07.2021 using old prescriptions. The validity of this relaxation had lapsed on 14.01.2022.

3. चूंकि इस तरह की छूट की आवश्यकता वाली परिस्थितियाँ अभी प्रचलन में नहीं हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों छूटों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे केवल मासिक आधार पर ही दवाएं खरीद कर उसके अनुसार प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करें।

Since the circumstances warranting such relaxations are not prevailing as of now, it has been decided to withdraw both the above relaxations with immediate effect. Therefore, all beneficiaries are requested to purchase medicines only on monthly basis and submit reimbursement claims accordingly.

Contd.. 2

::2::

4. सभी सीएचएसएस लाभार्थियों और अन्य संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त को नोट करें। All CHSS beneficiaries and other concerned officers are requested to kindly note the above.

5. इसे निदेशक, वीईसीसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of Director, VECC.

कृष्ण कांत

14/06/2022

(वी.एस.एन.वी. आर.कृष्ण कान्त/
V.S.N.V.R. Krishna Kanth)

सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस)/
Asstt. Personnel Officer (CHSS)

सभी सीएचएसएस लाभार्थी: नोटिस बोर्ड और वेबसाइट के माध्यम से।
All CHSS beneficiaries: through notice board & website.

Shri Kaushik Datta, SO/F, C&IG, VECC:- with a request to arrange for uploading in
VECC website.

श्री कौशिक दत्ता, एसओ/एफ, सीएंडआईजी, वीईसीसी: - वीईसीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के
अनुरोध के साथ।

Copy information to:

निदेशक, वीईसीसी / Director, VECC

डॉ. सर्बजीत पाल, प्रमुख सीएंडआईजी, वीईसीसी/Dr. Sarbajit Pal, Head, C&IG, VECC

अध्यक्ष, सीएचएसएस समिति, वीईसीसी/Chairperson, CHSS Committee, VECC

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वीईसीसी/CAO, VECC

प्रशासनिक अधिकारी-III, वीईसीसी/AO-III, VECC

पी एंड ए ओ, वीईसीसी/P&AO, VECC

प्रशासनिक अधिकारी-इसरो, कोलकाता/Administrative Officer, ISRO, Kolkata

प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, कोलकाता / Officer-in-charge, NPCIL, Kolkata

प्रभारी अधिकारी, ईआरबी, कोलकाता / Officer-in-charge, AERB, Kolkata

प्रभारी अधिकारी, भापअ केंद्र, कोलकाता / Officer-in-charge, BARC, Kolkata

प्रभारी अधिकारी, ब्रिट, कोलकाता / Officer-in-charge, BRIT, Kolkata